

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष नं.:—0141-2740837, फ़ैक्स:—0141-2742309, ई मेल:—jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:— F(ई)निप/मैरिट नं. 3480/अलेसे-III **382**

दिनांक:— **17.04.25**

कार्यालय आदेश

अल्का बाई मीना [लिंक नं. 12618] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर (HCM RIPA) जिनकी जन्म तिथि 05/07/1991 है, सुश्री अल्का बाई मीना ने अपने आवेदन पत्र द्वारा अपना नाम अल्का बाई मीना से परिवर्तित कर अल्का मीना किये जाने का आवेदन किया है। राजस्थान सेवा नियमों के नियम 8(ए) के निर्णय 05 के अनुसार राजपत्र (गजट) के भाग संख्या 7 जिल्द 76 अंक 44 दिनांक 30.01.2025 एवं समाचार पत्र समाचार जगत दिनांक 18.03.2025 में प्रकाशित सूचना के आधार पर इनका परिवर्तित नाम अल्का मीना विभागीय रिकार्ड में दर्ज करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:— F(ई)निप/मैरिट नं. 3480/अलेसे-III **382**

दिनांक:— **17.04.25**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
2. अल्का मीना [लिंक नं. 12618] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय, कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)